

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०८७

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान पेंशन 4. अपनी पेंशन/वृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, कालिका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***अपेक्षा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम-शुलकेट जि.खशाम	एक गृह एवं अन्य भवन	—	20 लाख	श्रीमती सुभादेवी सोलंकी	विरासत	—	—
— " — (2)	—	24.29 एकड़	75 लाख	(माला जी भा)	—	39,000	₹
ग्राम-सांगरी जि.खशाम (3)	एक इलेक्ट्रिक मकान	—	15 लाख	स्वयं	—	37,800	₹

जहां खाल न हो फाट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में संतुष्ट मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें आधुनिकीकरण पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्ण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बढ़ाने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक से उसके द्वारा धारित संपत्ति अवल संपत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

हस्ताक्षर
 नाम
 पद